न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 38 / 2025	2025 / 268	04.06.2025	29.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. कुणाल सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी निवासी बी–22, हीराबास, काली मोरी फाटक, अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि।

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 17.04.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री शालू कंवर, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु मै० सैनी मिष्ठान भण्डार, काली मोरी फाटक, अलवर पर पहुंचा। मौके पर श्री कुणाल सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी, निवासी बी–22, हीराबास, काली मोरी फाटक, अलवर उपस्थित मिला। श्री कुणाल सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी की दुकान पर 2 घरेलू सिलेण्डर्स अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। श्री कुणाल सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी के द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को मै० गोविन्द गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री कुन्दन पुत्र श्री दयाराम, सर्राफा बाजार, अलवर को सुपुर्द किया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील/सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी कुणाल सैनी पुत्र राजेन्द्र सैनी की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों को दुकान पर रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी कुणाल सैनी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)